



थाना सुमेरपुर

दिनांक- 19.03.2024

## थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 19.03.2024 को थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त गोलू गुप्ता पुत्र दयाशंकर गुप्ता को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ तपोभूमि जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सुमेरपुर पर मु0अ0सं0 107/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

### अभियुक्त का नाम व पता:-

गोलू गुप्ता पुत्र दयाशंकर गुप्ता निवासी मुहल्ला वार्ड नं0 15 पेट्रोल पम्प के पीछे कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर उम्र 28 वर्ष।

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास: -

1.मु0अ0सं0 83/2016 धारा – 406 भा0द0सं0	2.मु0अ0सं0 97/2015 धारा 60 आब0अधिनियम
3.मु0अ0सं0 100/2017 धारा – 10 यूपी गुण्डा एक्ट	4.मु0अ0सं0 191/2016 धारा 60 आब0अधिनियम
5.मु0अ0सं0 29/2020 धारा – 13 जुआ अधिनियम	6.मु0अ0सं0 123/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम
7.मु0अ0सं0 636/2023 धारा 323/354/504/506 भा0द0सं0	8.मु0अ0सं0 444/2016 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट
9.मु0अ0सं0 2588/2014 धारा 18/22 एनडीपीएस एक्ट	10.मु0अ0सं0 680/2015 धारा 60 आब0अधिनियम
11.मु0अ0सं0 107/2024 धारा – 3/25 आर्म्स एक्ट	

### बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामदा

### गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 विजय बहादुर
- 2.हे0का0 अंजनी यादव

